



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128962

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 14955/2026

विनय यादवआवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : करुणेश प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना चितुआताल, जिला गोरखपुर में मुकदमा अपराध संख्या 757/2025, अंतर्गत धारा 108 बीएनएस के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि कथित घटना 24.02.2025 को हुई थी जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 9 महीने बाद 23.11.2025 को दर्ज की गई थी; प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आवेदन विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष 18.09.2025 को प्रस्तुत किया गया था और विद्वान मजिस्ट्रेट के निर्देश पर 23.11.2025 को धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध मृतक की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया है; मरणोत्तर (पोस्ट मार्टम) रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु मृत्यु-पूर्व फांसी लगाने के परिणामस्वरूप श्वासरोध (अस्फाक्सिया) के कारण हुई थी। तत्पश्चात मामले को धारा 108 बीएनएस में परिवर्तित कर दिया गया था। अन्वेषण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि आवेदक और मृतक एक-दूसरे से प्रेम करते थे परंतु उनके परिवार के सदस्य उनके विवाह के लिए तैयार नहीं थे। कुछ समय बाद, आवेदक ने विवाह के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया और पीड़िता ने आत्महत्या कर ली; आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित या उकसाया था; दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



30.03.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का पात्र नहीं है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करने के बाद और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत पाने के लिए मामला बना लिया है।
6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक- विनय यादव को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय आईपीसी की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद को शुरू करने, (2) आरोप विरचित करने और (3) सीआरपीसी की धारा 313 / बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

नितेंद्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"